उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001
फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 ....131/18 दिनांक 4/1/18

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
समस्त पैरामेडिकल एवं नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र,
उत्तर प्रदेश।

विषय–पैरामेडिकल एवं नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु विज्ञापन के संबंध में।

महोदय,

आप द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें–

1. इस कार्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक सत्र् में प्रवेश लेने से पूर्व निर्धारित समय जुलाई से अक्टूबर माह तक ही समाचार पत्रों/इलेक्ट्रनिक माध्यमों में विज्ञापन का प्रकाशन कराया जायें।
2. जिन प्रशिक्षण केन्द्रों को उ0प्र0 शासन/इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा मान्यता एवं इस कार्यालय द्वारा सम्बद्धता निर्धारित शैक्षणिक सत्र में विलम्ब से प्राप्त होता है अर्थात अक्टूबर माह के प्श्चात, तो ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र अपने विज्ञापन को इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित कराने के पश्चात् ही समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक माध्यमों में प्रकाशित करायें।
3. आप द्वारा किसी भी दशा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भ्रामक विज्ञापनों का विज्ञापन न कराया जायें। यदि आप द्वारा ऐसा किया जाता है तो आपके प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने का निर्णय इस कार्यालय द्वारा लिया जा सकता है।
4. उ0प्र0 शासन/इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा मान्यता एवं इस कार्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र अपने प्रशिक्षण केन्द्र में अन्य कोई प्रशिक्षण न चलाये ऐसा पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता वापस ले ली जायेगी।
5. आपके प्रशिक्षण केन्द्र का इस कार्यालय द्वारा कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है।

भवदीय,

4/1/18

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।